

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आरसीटी 102/2017

दांडिक प्रकरण क.-86/17

संस्थापित दिनांक-28.03.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
01-कमरजीत पुत्र खरगा अहिरवार उम्र 22 साल 02-फूलबाई पत्नी खरगा अहिरवार उम्र 50 साल निवासीगण खिरका थाना चंदेरी। .....आरोपीगण
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 01.04.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 498ए, 323, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323, 506 भाग दो के आरोप से उन्मोचित किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 498ए के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी मीनाबाई ने दिनांक 04.03.17 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी शादी को करीब छः साल हो गए हैं। उसकी शादी उसके पिता ने बहेरिया थाना ईसागढ से खिरका के जयपाल अहिरवार के साथ की थी तथी से उसकी सास फूलबाई तथा देवर कमरजीत कई बार बीच में दहेज को लेकर मारपीट व प्रताड़ित करते थे। इसके बाद घटना दिनांक को उसकी सास फूल बाई ने कंडों का बहाना लेकर डंडे से उसकी मारपीट की तथा देवर कमरजीत ने भी डंडों से मारपीट की जिससे उसे चोटें आईं और दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 87/17 के अंतर्गत भादवि की धारा 498ए, 323, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 498ए, 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 04.03.17 को समय 08.00 बजे ग्राम खिरका चंदेरी पर फरियादिया मीनाबाई के रिश्तेदार होते हुए दहेज के

लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की?

**--:: सकारण निष्कर्ष ::--**

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मीनाबाई, अ.सा. 02 पन्नालाल की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 मीनाबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी कमरजीत उसका देवर है। तथा फूलबाई उसकी सास है। उक्त साक्षी के अनुसार कंडों के उपर से उसकी फूलबाई एवं कमरजीत से कहासुनी हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार कहासुनी के दौरान धक्का मुक्की हो जाने से उसे चोट आई थी जिस पर से उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसे दहेज की मांग को लेकर उसके साथ प्रताड़ना कारित की थी। उपरोक्त साक्षी ने पुलिस रिपोर्ट प्रपी 01 में दहेज की मांग को लेकर अभिवचन लेखबद्ध कराने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा. 02 पन्नालाल ने भी अपने कथन में बताया है कि फरियादिया ने उसके घर बहेरिया में आकर उससे कहासुनी एवं धक्का मुक्की करने के बारे में बताया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने फरियादिया को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया था।

09— उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसमें से एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उसे दहेज की मांग को लेकर उसके साथ कूरता कारित की गई। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादिया के रिश्तेदार होते हुए उससे दहेज की मांग को

लेकर उसके साथ कूरता कारित की गई।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 498ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)